

**अनुदान संख्या 48 - आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) विभाग**  
**GRANT No. 48-DEPARTMENT OF AYURVEDA, YOGA & NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)**

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	225,22,00		
पूरक	Supplementary	37,07,00		
		262,29,00	260,39,68	-1,89,32
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			1,51,14
<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>			
स्वीकृत-	Voted-	51,00	51,00	. .
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil

**टीका और टिप्पणियां****Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-  
(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2210"	Major Head "2210"			
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health			
मू.	O.	14905.00		
पू.	S.	2857.00	17868.38	17828.02
पु.	R.	106.38		-40.36
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"			
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O.	5325.00		
पू.	S.	850.00	7615.61	7615.49
पु.	R.	1440.61		-0.12

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Head Major Head "2552" North Eastern Areas			
मू.	O.	1810.00	..	..
पु.	R.	-1810.00	..	..
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments			
पु.	R.	159.38	159.38	159.37 -0.01

(I) तेरह शीर्षों के अंतर्गत 2162.00 लाख रु. का प्रावधान पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 1960.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के लिए प्रावधान"- 1810.00 लाख रु. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को निधियों का पुनर्विन्धोग किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - चिकित्सा की अन्य पद्धतियां - अन्य पद्धतियां - प्रयोगशालाओं/गुणवत्ता निबंधन सुविधाओं के सृजन के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी उद्योग को सहायता"- 150.00 लाख रु. स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "2210" के अंतर्गत मार्च, 2005 में प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - चिकित्सा की अन्य पद्धतियां- आयुर्वेद - केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना आयुर्वेद अस्पताल"-

(I) Provision of Rs.2162.00 lakhs remained wholly unutilised under thirteen heads; of these Rs.1960.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552" - "Other Expenditure-Provision for North Eastern States and Sikkim" - Rs.1810.00 lakhs - due to re-appropriation of funds to the functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern States including Sikkim.

(B) Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Urban Health Services- Other Systems of Medicine - Other Systems - Support to ISM&H Industry for creation of Laboratories/Quality Control Facilities" - Rs.150.00 lakhs - due to non-finalisation of the scheme.

(II) Supplementary grant obtained in March, 2005 under Major Head "2210" remained wholly unutilised under the following heads as shown against each:-

(A) "Urban Health Services - Other Systems of Medicines - Ayurveda - CGHS Ayurveda

103.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को मार्च, 2005 में 19.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 122.00 लाख रु. कर दिया गया था। तथापि, 29.85 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजन आयुर्वेद अस्पताल में अपेक्षित पदों का सृजन न किए जाने के कारण हुई।

(खा) “चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान - आयुर्वेद-राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर को अनुदान” - 1039.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को मार्च, 2005 में 17.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1056.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 30.02 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) एससी/एसटी योजन संघटकों के लिए कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “2210” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत भी हुई:-

(का) “शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - चिकित्सा की अन्य पद्धतियां-निदेशन तथा प्रशासन - केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजन डिस्पेंसरियों में विस्तार” - 123.47 लाख रु. की बचत (130.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जनशक्ति के उपलब्ध न होने और डिस्पेंसरियों के खुलने में विलंब होने के कारण हुई।

(खा) “चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान - अन्य पद्धतियां - मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान” - 253.00 लाख रु. की बचत (610.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्माण कार्य के बढ़े हुए संशोधित लागत अनुमानों को अनुमोदन न प्रदान किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष “3601” - “केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजन स्कीमों के लिए अनुदान - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - चिकित्सा की अन्य पद्धतियां - अन्य पद्धतियां - भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के शिक्षण कालेजों/अस्पतालों और अन्य अस्पतालों में भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी सुविधा (रोगी की देखाभाल संबंधी सेवाएं) का नवीकरण और सुदृढीकरण” - 150.00 लाख रु. की बचत (250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयुक्त प्रस्तावों के प्रत्याशा से कम संख्या में प्राप्त होने के कारण हुई।

Hospital” - the original provision of Rs.103.00 lakhs was augmented to Rs.122.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.19.00 lakhs in March, 2005. However, there was a saving of Rs.29.85 lakhs (including supplementary grant) - due to non-creation of requisite posts in CGHS Ayurveda Hospital.

(B) “Medical Education, Training and Research- Ayurveda - Grants to National Institute of Ayurveda, Jaipur” - the original provision of Rs.1039.00 lakhs was augmented to Rs.1056.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.17.00 lakhs in March, 2005. However, there was a saving of Rs.30.02 lakhs (including supplementary grant) due to less requirement for SC/ST plan components.

(III) Under Major Head “2210” - savings also occurred under the following heads: -

(A) “Urban Health Services - Other Systems of Medicines - Direction and Administration - CGHS Expansion in Dispensaries” - saving of Rs.123.47 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.130.00 lakhs) was due to non-availability of manpower and delay in opening of the dispensaries.

(B) “Medical Education, Training and Research - Other Systems - Morarji Desai National Institute of Yoga” - saving of Rs.253.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.610.00 lakhs) was due to non-approval of enhanced revised cost estimates of construction work.

(IV) Under Major Head “3601” - “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Urban Health Services - Other Systems of Medicine - Other Systems - Renovation and Strengthening of ISM&H facility (Patient care services) in ISM&H teaching colleges/hospitals and other hospitals” - saving of Rs.150.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.250.00 lakhs) was due to receipt of less number of suitable proposals than anticipated.

(V) पांच शीर्षों के अंतर्गत 319.88 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 18 प्रतिशत से 93 प्रतिशत तक थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (1077.30 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मार्च, 2005 में 41.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अनुदानों की पूरक मांगों के अनुबंध-II द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष "2210"-

(क) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - चिकित्सा की अन्य पद्धतियां - आयुर्वेद - केंद्रीय परिषद के संयुक्त भवन परिसर के लिए अनुदान" - 99.00 लाख रु.।

(ख) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान"-

(i) "होम्योपैथी - केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद को अनुदान"- 115.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 114.00 लाख रु. था।

(ii) "अन्य पद्धतियां - राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, तमिलनाडु को अनुदान"- 75.00 लाख रु.।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - आयुर्वेद - राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाएं/फार्मेशियां"- 788.30 लाख रु.।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष "2210" - "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - अन्य चिकित्सा पद्धतियां - अन्य पद्धतियां - राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना"- 450.38 लाख रु. का अधिक व्यय (2305.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(V) Under five heads savings of Rs.319.88 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 18 percent to 93 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.1077.30 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.41.00 lakhs in March, 2005 and vide Annexure-II to Supplementary Demands for Grants under the following major heads: -

(A) Major Head "2210" -

(a) "Urban Health Services - Other Systems of Medicines - Ayurveda - Grants for Central Council's Combined Building Complex" - Rs.99.00 lakhs.

(b) "Medical Education, Training and Research" -

(i) "Homoeopathy - Grants to Central Council for Research in Homoeopathy" - Rs.115.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.114.00 lakhs.

(ii) "Other Systems - Grants to National Institute of Siddha, Tamil Nadu" - Rs.75.00 lakhs.

(B) Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Medical Education, Training and Research - Ayurveda - State Drug Testing Laboratories/Pharmacies" - Rs.788.30 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2210" - "Urban Health Services - Other Systems of Medicines - Other Systems - Setting up of National Board for Medicinal Plants" - excess of Rs.450.38 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2305.00 lakhs);

(खा) मुख्य शीर्ष “3601” - “केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजन स्कीमों के लिए अनुदान - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - चिकित्सा की अन्य पद्धतियां - अन्य पद्धतियां”-

(क) “विभिन्न राज्यों में ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के लिए आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी डिस्पेंसरियों के लिए अनिवार्य औषधियां”- 124.89 लाख रु. का अधिक व्यय (दिसंबर, 2004 में प्राप्त किए गए 850.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 2050.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) “जिला अस्पतालों में भारतीय चिकित्सा पद्धति स्कंध की स्थापन”- 770.00 लाख रु. का अधिक व्यय (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय प्रत्याशा से अधिक संख्या में प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुआ।

(ग) “संस्थानों की स्थापन/भारतीय चिकित्सा पद्धतियां और होम्योपैथी/उत्कृष्टता केंद्र/माडल कालेजों का उन्नयन और अन्य अधःसंरचना”- 192.80 लाख रु. का अधिक व्यय (1250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(गा) मुख्य शीर्ष “3602” - “केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजन स्कीमों के लिए अनुदान - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - चिकित्सा की अन्य पद्धतियां - अन्य पद्धतियां - संस्थानों की स्थापन/भारतीय चिकित्सा पद्धतियां और होम्योपैथी/उत्कृष्टता केंद्र/माडल कालेजों का उन्नयन और अन्य अधःसंरचना”- 147.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय शैक्षिक अधःसंरचना के सुधार के लिए अतिरिक्त निवेशों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 65.72 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 20 प्रतिशत था।

(B) Major Head “3601” - “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Urban Health Services - Other Systems of Medicine - Other Systems” -

(a) “Essential Drugs for Ayurveda, Siddha, Unani & Homoeopathy (ISM&H) dispensaries for rural & backward areas in various States” - excess of Rs.124.89 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs. 2050.00 lakhs including supplementary grant of Rs.850.00 lakhs obtained in December, 2004); and

(b) “Setting up of ISM wing in district hospitals” - excess of Rs.770.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs).

Excess under the above three heads was due to receipt of more number of proposals than anticipated.

(c) “Establishment of institutes/upgradation and other infrastructure of ISM&H/Centre of excellence/model Colleges” - excess of Rs.192.80 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1250.00 lakhs); and

(C) Major Head “3602” - “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Urban Health Services- Other Systems of Medicine - Other Systems - Establishment of institutes/upgradation and other infrastructure of ISM&H/Centre of excellence/ model Colleges” - excess of Rs.147.00 lakhs (against nil provision).

Excess under the above two heads was due to requirement of additional investments to improve the educational infrastructure.

(II) Under one head excess of Rs.65.72 lakhs occurred constituting 20 percent of the sanctioned provision.